



UPUN050031912019

न्यायालय Civil Judge (Sr. Div.), Unnao

पीठासीन अधिकारी- (Alka Yadav), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01620

मूलवाद संख्या: OS/1200427/2019

रावेन्द्र सिंह आदि.....बनाम.....अमोल सिंह आदि।

दिनांक:- 24.07.2020

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित आये।

पत्रावली में वाद बिन्दु विरचित किये जाने हैं।

पक्षों को धारा 89 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। पक्षों द्वारा किसी भी प्रकार के सुलह समझौते से इंकार किया गया है। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं:-

- 1- क्या वादीगण वादग्रस्त गोंडा जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी अक्षर अ,ब,स,द से दिखाया गया है, के बुजुर्गी जमीन के मालिक काबिज है? यदि हाँ तो प्रभाव।
- 2- क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- 3- क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
- 4- वादीगण किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु न तो बनता है न पक्षों द्वारा बनाये जाने हेतु बल ही दिया गया है। पत्रावली दिनांक 10.08.2020 को वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 एवं 3 पेश हो।

(अलका यादव)

सिविल जज (सी0डि0),
उन्नाव।

आई0डी0 नं0- UP 1620